संख्या- 92/2022/2189681(2)/12-2099/117/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 नवंबर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 110-फसल बीमा, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी के प्राविधान में से विभिन्न मदों में धनराशि रू. 3.00 करोड़ पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-1389/2022-23/फ0बी0पुनर्विनियोग, दिनांक 05 अगस्त, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 110-फसल बीमा, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि की विभागीय बचतों से, संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रूपये 300.00 लाख (रूपया तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व आपके द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशासकीय व्यय की देयता योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार निर्धारित होती है।
2. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रशासनिक व्यय हेतु योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार निर्धारित केन्द्रांश अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा। यदि प्रशासनिक व्यय हेतु केन्द्रांश प्राप्त होता है तो तदनुसार राज्यांश का समायोजन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
4. चूँकि योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु प्रथम बार विचार किया जा रहा है, ऐसे में योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय को रूपये 300.00 लाख तक की सीमान्तर्गत रखा जायेगा।
5. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक,उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
7. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
8. आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

10. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी0-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001108902 (नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	011	2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	011	2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	08 कार्यालय व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
3	011	2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
4	011	2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
5	011	2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
6	011	2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	42 अन्य व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
7	011	2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
8	011	2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
	कुल			**3,00,00,000** **(रुपये तीन करोड़ मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या- 92/2022/2189681(2)/12-2099/117/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1 (बी0ण्म0-9 तीन प्रतियों में), उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in